न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 128/2015
दिनांक 23.11.2015
इस न्यायालय में दर्ज प्र.स. 58/22
प्रकरण दायर दिनांक 03.01.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 08.04.2022

उनवान

1. दामोदर प्रसाद पुत्र घासीराम जाति ब्राह्मण निवासी आनन्दपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

—: वादी

बनाम:—

1. ललता प्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद
2. नेमीचन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद

जाति ब्राहम्ण निवासी पैसरान झुपडी तहसील बसवा जिला दौसा। प्रतिवादीगण

3. अशोक कुमार हीरा लाल
4. राजु पुत्र हीरालाल
5. विमल पुत्र हीरालाल
6. पवन पुत्र हीरालाल
7. उगन्ती देवी पत्नी हीरालाल

जाति समस्त ब्राहम्ण निवासी झुपडी पैसेरान तह0 बसवा जिला दौसा

8. मुली देवी पत्नी कजोडमल
9. रामस्वरूप पुत्र कजोडमल
10. श्यामलाल पुत्र कजोडमल
11. हनुमान पुत्र रामकरण
12. लालाराम पुत्र रामकरण

जाति समस्त ब्राहम्ण निवासी बासडा तह0 बसवा जिला दौसा

13. अनिल कुमार पुत्र रामकरण
14. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर एवं उपंजीयक अधिकारी तहसीलदार तहसील बसवा दौसा।
15. प्रबन्धक यूको बैक शाखा बांदीकुई।
16. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बसवा जिला दौसा
17. मन्नो पत्नी श्यामलाल
18. द्रोपती देवी पत्नी दामोदर ब्रा. निवासी कुकरवाडी
19. सातीदेवी पत्नी रामस्वरूप ब्रा. निवासी कुकरवाडी
20. गुडडी देवी पत्नी हजारी लाल ब्रा. नि0 चितौस तह0 राजगढ
21. शोभा देवी पत्नी राजेन्द्र निवासी ककराली रामपुरा तह0 राजगढ
22. श्रीमती कैलासी देवी पत्नि कैलाश चन्द जाति गुर्जर नि0 दडगस की ढाणी बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा
23. श्रीमति शीला गुर्जर पत्नि अमरसिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी सवडावली तह0 बसवा जिला दौसा।

:— तरतीवी प्रतिवादीग

" दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा "

::निर्णय::

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner

वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादी जर्ये वकील श्री गोपाल दन्धु के द्वारा वास्ते दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का न्यायालय उप- जिला कलेक्टर वादीकुई में दिनांक 23.11.2015 को इस आशय का निम्न प्रकार पेश किया कि ग्राम आनन्दपुरा पटवार हल्का पण्डितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 5 पुरानी 6 खसरा न. 254 रकबा 1.49 है0 खसरा नं. 255 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 256 रकबा 0.78 है0. खसरा 257 रकबा 0.53 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्टयर वार्षिक लगानी 59 रूपये 40 पैसे एवं ग्राम बासडा ब्राहमणान पटवार हल्का पण्डितपुरा तहसील बसवा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 45 पुरानी 5 के खसरा न. 106 रकबा 0.90 है0 खसरा न. 112 रकबा 1.17 है0 खसरा न. 113 रकबा 0.50 है0 खसरा नं. 114 रकबा 0.64 है0 खसरा नम्बर 115 रकबा 0.01 है0 खसरा नं. 116 रकबा 0.48 है0 खसरा नं. 117 रकबा 0.45 है0 खसरा न. 118 रकबा 0.39 है0 खसरा नम्बर 119 रकबा 0.76 है0 खसरा न. 120 रकबा 0.85 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.70 हैक्टयर वार्षिक लगानी 90 रुपये 48 पैसे स्थित है जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। उक्त भूमि मुतदाविया 1 ला0 13 के समलित कब्जे काश्त व खातेदारी की अविभिजित सम्पति है जिसका पक्षकारान के मध्य अभी तक विधिवत तकास्मा नही हुआ है पक्षकारान ने मौके पर आपसी सहमति के आधार पर भूमि को उपयोग में लेते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया दोनो खाता की भूमि मे वादी का 1/5, 1/5 हिस्सा है जिसको वादी बजमाने जर्गान से उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। लेकिन भूमि को फसल बोते समय काटते समय व लगान जमा कराते समय पक्षकारान आपस में विवाद हो जाता है तथा कोई भी पक्ष बिना एक दुसरे की सहमति के राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी प्राप्त नही कर सकता है। ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया का वादी अपनेक 1/5, 1/5 हिस्से भूमि मुतदाविया का सरस-नरस के अनुसार विधिवत तकासमा करवाकर अलग-अलग चक व अलग खाता अलग लगान कायम व अलग- अलग पास बुक जारी करवाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन नोटिस तलबी करवाई गई दिनांक 27.11.2015 को प्रतिवादी 1 व 2 की तरफ से श्री अमर सिंह गुर्जर एडवोकेट द्वारा पावर पेश किया गया एवं प्रतिवादी 15 की ओर से एडवोकेट अनिल भट्ट यूटी दी गई। दिनांक 16.02.2015 को प्रतिवादी 1,2 की ओर से जवाब पेश हुआ जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:- प्रतिवादी संख्या एक व दो से विधिवत् सरस नरस के हिसाब से बंटवारा करने की नहीं कही, ना ही प्रतिवादी ने कभी कोई विधिवत बंटवारा से इन्कार ही किया ना ही कभी भूमि को कृषि से अकृषि के लिए कोई कार्य किया ना ही कोई एलानिया कहा। समस्त कथन कतई गलत व बेबुनियाद है। विशेष विवरण व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या एक व दो ने सम्मिलित 1/5 हिस्सा है और उसी अनुसार पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और उसी अनुसार प्रतिवादीगण उक्त भूमि मुतदाविया का तकास्मा कराकर अलग खाता व पास बुक जारी कराने के अधिकारी है इसलिये दावा बंटवारा का काउन्टर क्लेम पेश है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का 1/5 हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री तुरन्त जारी की जाकर तथा कुरेजात मंगाए जाकर अन्तिम डिक्री पारित की जावे। वादी व प्रतिवादीगण संख्या तीन लगायत 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे। कि वे प्रतिवादीगण संख्या एक व दो के हिस्से में आई भूमि पर कोई दखल अन्दाजी नही करे। दिनांक 04.06.2016 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प केसरीसिंहपुरा पेश हुई लोक अदालत में पक्षकारान की सुनवाई की जाकर दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया गया तहसीलदार बसवा को सरस-नरस यथा सभव कब्जे के आधार पर एवं रास्ते आदि का ध्यान रखते हुये पक्षकारान की मौजुदगी मे कुर्रेजात तैयार किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार बसवा कें पत्रांक दिनांक 4692 दिनांक 25.10.2016 को कुर्रेजात प्राप्त हुये। दिनांक 29.01.2018 वादी वकील द्वारा वाद पैरवी करने

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(...टेक)

Scanned with CamScanner

से इन्कार किया गया प्रतिवादी एक एवं दो की तरफ से काउन्टर क्लेम होने के कारण प्रतिवादी वकील से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन करवाया गया प्रतिवादी वकील द्वारा दिनांक 1309.2019 कुर्रेजात पर सहमती प्रकट की गई। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई पत्रावली कुर्रेजात बहस पर नियत थी। प्रतिवादी वकील द्वारा दिनांक 28.02.2020 को आदेश 01 नियम 10 जा0 दी श्रीमती कैलासी पत्नी कैलाश श्रीमति शीला गुर्जर पत्नी अमरसिंह को उक्त दावे में प्रतिवादी बनाने हेतु पेश किया गया दिनांक 14.03.2020 को प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया संशोधित काज टाईटल पेश हुआ शामील पत्रावली की किया गया कुर्रेजात पर प्रतिवादी वकील द्वारा तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रेजात पर पुनः सहमती दी गई। तहसीलदार बसवा के पत्रांक 4692 दिनांक 25.10 .2016 को तहसीलदार बसवा द्वारा पत्रावली पर कुर्रेजात प्रस्ताव उपलब्ध करवाये गये जो निम्न है:–

हाल जमाबंदी में दर्ज खातेदारी

क्र. स.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
1	[illegible]	मुलीदेवी पत्नी कजोड, रामस्वरूप, श्यामलाल पि. कजोडमल हि. 1/5 उगन्तीदेवी पत्नी स्व. हीरालाल अशोक राजेन्द्र विमल पवन पिता हिरालाल हि. 1/5 दामोदरप्रसाद पुत्र घासीराम हिस्सा 1/5 बिला रहन कमली पत्नी रामकरण हनुमान लालराम अनिल कुमार पि रामकरण हि. 1/5 हि.ब. राहिन यू.को बैक शाखा बांदीकुई मुर्तहिन कोम ब्राह्मण सा. कुकरवाडी ललता प्रसाद नेमीचन्द पि. दुर्गाप्रसाद हि. 1/5 जाति ब्रा.नि. झुपडी पैसरान खातेदार नामा. संख्या 86/05. 01.16 विक्रय से उगन्तीदेवी पत्नी स्व. हीरालाल अशोक राजेन्द्र विमल पवन पिता हिरालाल हि. 1/5 के बजाय कमली देवी पत्नी रामकरण हिस्सा 1/3 द्रोपती देवी पत्नी दामोदर हि 1/3 सीतादेवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/6 मन्बोदेवी पत्नी श्यामलाल हि. 1/6 दर हि. 1/5 जाति ब्रा. शेषखाता बदस्तुर जमा0	106 112 113 114 115 116 117 118 119 120	0.90 1.17 0.05 0.64 0.01 0.48 0.45 0.39 0.76 0.85	मु.जमा. मु.जमा.
		योगः–	कुल किता 10	कुल रकबा 5.70 हैक्टयर	लगान 90.48

कुर्रेजात के अनुसार खातेदार का विवरण

क. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
1	ललताप्रसाद नेमीचन्द पि0 दुर्गाप्रसाद जाति ब्रा. नि. झूपडी पैसरान	117/1 118 119/1	0.02 0.39 0.72	मु.जमा. मु.जमा
	कुल योग	किता 3	1.13	
2	मूलीदेवी पत्नी स्व. कजोडमल ,रामस्वरूप श्यामलाल पि0 कजोडमल हि. 1/4 कमली देवी पत्नी स्व. रामकरण हि. 1/3 दोपती देवी पत्नी दामोदर हि. 1/3 सीतादेवी पत्नी रामस्वरूप हि. 1/6 मन्चोदेवी पत्नी श्यामलाल हि. 1/6 दर हि 1/4 दामोदर प्रसाद पुत्र घासीराम हि. 1/4 बिला रहन कमली पत्नी रामकरण हनुमान लालाराम अनिल कुमार पि. रामकरण हि. 1/4 राहिन यूको बैक शाखा बांदीकुई मुर्तहिन कौम ब्राहमण सा. कुकरवाडी	106 112 113 114 115 116 117/2 120	0.90 1.17 0.05 0.64 0.01 0.48 0.41 0.85	मु.जमा.
	कुल योग	किता 8	4.51	
3	मूलीदेवी पत्नी स्व. कजोडमल ,रामस्वरूप श्यामलाल पि0 कजोडमल हि. 1/5 कमली देवी पत्नी स्व. रामकरण हि. 1/3 दोपती देवी पत्नी दामोदर हि. 1/3 सीतादेवी पत्नी रामस्वरूप हि. 1/6 मन्चोदेवी पत्नी श्यामलाल हि. 1/6 दर हि 1/5 दामोदर प्रसाद पुत्र घासीराम हि. 1/5 बिला रहन कमली पत्नी रामकरण हनुमान लालाराम अनिल कुमार पि. रामकरण हि. 1/5 राहिन यूको बैक शाखा बांदीकुई मुर्तहिन कौम ब्राहमण सा. कुकरवाडी ललता प्रसाद नेमीचन्द पि. दुर्गाप्रसाद हि. 1/5 जाति ब्रा. नि. झुपडीपैसरान खातेदार	117/3 119/2	0.02 0.04	मु.जमा.
	कुल योग	किता 2	0.06	

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner

इसी प्रकरण ग्राम आनन्दपुरा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है जो निम्न प्रकार है:–

हाल जमाबंदी में दर्ज खातेदारी

क्र.स.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
1	[illegible]	मुलीदेवी पत्नी कजोड, रामस्वरूप, श्यामलाल पि. कजोडमल हि. 1/5 उगन्तीदेवी पत्नी स्व. हीरालाल अशोक राजेन्द्र विमल पवन पिता हिरालाल हि. 1/5 दामोदरप्रसाद पुत्र घासीराम हिस्सा 1/5 सा. कुकरवाडी ललता प्रसाद नेमीचन्द पिता दुर्गा प्रसाद हिस्सा 1/5 बिना रहन झोपडी पैसरान कमली पत्नी स्व. रामकरण हनुमान लालाराम अनिल कुमार पि रामकरण हि. 1/5 हि. जाति ब्रा. सा. कुकरवाडी राहिन यू.को बैंक शाखा बसवा मुर्तहिन कोम ब्राहमण सा. कुकरवाडी नामा. संख्या 131/05.01.16 विकय से उगन्तीदेवी पत्नी स्व. हीरालाल अशोक राजेन्द्र विमल पवन पिता हिरालाल हि. 1/5 के बजाय कमली देवी पत्नी स्व. रामकरण हिस्सा 1/3 द्रोपती पत्नी दामोदर हि 1/3 सीतादेवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/6 मन्वोदेवी पत्नी श्यामलाल हि. 1/6 दर हि. 1/5 जाति ब्रा. शेषखाता बदस्तूर जमा0	254 255 256 257	1.49 0.17 0.78 0.53	मु.जमा मु.जमा.
		योगः–	कुल किता 4	कुल रकबा 2.97 हैक्टयर	लगान 4940

कुर्रेजात के अनुसार खातेदार का विवरण

क.स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म
1	ललताप्रसाद नेमीचन्द पि0 दुर्गाप्रसाद जाति ब्रा. नि. झुपडी पैसरान	254/1	0.59	मु.जमा मु.जमा
	कुल योग	किता 1	0.59	
2	मूलीदेवी पत्नी स्व. कजोडमल ,रामस्वरूप श्यामलाल पि0 कजोडमल हि. 1/4 कमली देवी पत्नी स्व. रामकरण हि. 1/3 दोपती देवी पत्नी दामोदर हि. 1/3 सीतादेवी पत्नी रामस्वरूप हि. 1/6 मन्वोदेवी पत्नी श्यामलाल हि. 1/6 दर हि 1/4 दामोदर प्रसाद पुत्र घासीराम हि. 1/4 बिला रहन कमली पत्नी रामकरण हनुमान लालाराम अनिल कुमार पि. रामकरण हि. 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा बांदीकुई मुर्तहिन कौम ब्राहमण सा. कुकरवाडी	254/2 255 256 257	0.90 0.17 0.53 053	मु.जमा
	कुल योग	किता4	2.38	मु.जमा

हमने तहसीलदार बसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली में वाद पत्र की ताहीई में प्रस्तुत दस्तावेजता प्रतिवादी द्वारा दावा बंटवारा का काउन्टर क्लेम का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रकरण में पैरवी नही की गई प्रतिवादी का दावा बंटवारा का काउन्टर क्लेम होने के कारण प्रतिवादी वकील द्वारा तहसीलदार बसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमती प्रकट की गई वाद वादी स्वीकार किया जाकर भूमि मुतदाविया पर तहसीलदार बसवा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार तकास्मा किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि ग्राम आनन्दपुरा पटवार हल्का पण्डिपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 5 पुरानी 6 खसरा न. 254 रकबा 1.49 है0 खसरा नं. 255 रकबा 0.17 है0 खसरा नम्बर 256 रकबा 0.78 है0, खसरा 257 रकबा 0.53 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्टयर वार्षिक लगानी 59 रूपये 40 पैसे एवं ग्राम वासडा ब्राहनणान् पटवार हल्का पण्डितपुरा तहसील बसवा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 45 पुरानी 5 के खसरा न. 106 रकबा 0.90 है0 खसरा न. 112 रकबा 1.17 है0 खसरा न. 113 रकबा 0.50 है0 खसरा नं. 114 रकबा 0.64 है0 खसरा नम्बर 115 रकबा 0.01 है0 खसरा नं. 116 रकबा 0.48 है0 खसरा नं. 117 रकबा 0.45 है0 खसरा न. 118 रकबा 0.39 है0 खसरा नम्बर 119 रकबा 0.76 है0 खसरा न. 120 रकबा 0.85 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.70 हैक्टयर वार्षिक लगानी 90 रूपये 48 पैसे स्थित है में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार तकास्मा किया जावे। तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बसवा नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे, अंतीम पर्चा डिकी एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 08.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया है।

(भावना शर्मा)

आरएएस

सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रेक

बांदीकुई जिला दौसा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई